भोजपुर समाहरणालय (राजस्व प्रशाखा) आरा ।

पत्रांक 766 / रा0

प्रेषक ,

जिलाधिकारी
भोजपुर आरा।

सेवा में

संयुक्त सचिव–सह–अपर विधि परामर्शी,
बिहार पटना।

आरा,दिनांकः– 5/03/2022

विषय :– बिहार विधान सभा में दिनांक 07.03.2022 को ध्यानाकर्षण सूचना से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :– भवदीय पत्रांक 1255 / जे0 दिनांक 05.03.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा बिहार विधान सभा में दिनांक 07.03.2022 को ध्यानाकर्षण सूचना से संबंधित प्रश्न का उतर निम्नवत् है :–

प्रश्न	उतर
"भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय का आदेश देश के सभी भू–भाग में मान्य है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिविल वाद सं0–4850 / 2021 के द्वारा स्पष्ट आदेश दिया है कि देश के मठ मंदिरों की परिसम्पतियों को किसी सेवादार को बेचने का अधिकार नहीं है, सेवादार हकदार नही है। वह राजस्व विभाग के रिमार्क कॉलम में ही रह सकता है। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अन्तर्गत पुरे राज्य में मठ मंदिरों के नाम पर निबंधित एवं अनिबंधित 30000 (तीस हजार) एकड़ भूमि है, जिसमें दरभंगा प्रमंडल में 5533 एकड़, मुंगेर प्रमंडल में 3373 एकड़, तिरहुत प्रमंडल में 5800 एकड़ भूमि है, जिसमें अधिकांश भूमि स्थानीय लोगो के अवैध कब्जा में है। अतः उक्त भूमि को अवैध कब्जा से मुक्त कर उसकी बिक्री पर रोक लगाने एवं मठ मंदिरों के नाम पर अनिबंधित भूमि को समयबद्ध अभियान चलाकर निबंधन कराने तथा भूमि को पैमाईश कराकर पिलरिंग कराने हेतु हम सदन के माध्यम से का ध्यान आकृष्ट करते है। "	भोजपुर जिलान्तर्गत 70 निबंधित मठ / मंदिरों की सूची उपलब्ध है, जिसे धार्मिक न्यास पर्षद को उपलब्ध करा दिया गया है, जिसका कुल रकबा–270 एकड़ 65 डी0 है। वर्तमान में किसी सेवादार द्वारा मठ / मंदिर की भूमि बेचने का मामला प्रकाश में नहीं आया है तथा कोई परिसम्पतियॉ अतिक्रमित नहीं है। सभी निबंधित धार्मिक न्यासों की परिसम्पतियॉ सीमांकित है। वर्तमान में 54 अनिबंधित मठ / मदिरों की कुल भूमि 123 एकड़ 63 डी0 पायी गयी है, शेष अनिबंधित मठ / मंदिरों की भूमि का सर्वेक्षण का कार्य कराया जा रहा है। तत्पश्चात उनकी पैमाईश करायी जाएगी। पैमाईश के दौरान किसी परिसम्पति पर अतिक्रमण पाया जाता है तो तत्काल उसे अतिक्रमण मुक्त कराते हुए निबंधन की कार्रवाई की जाएगी।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन

05/03/

जिलाधिकारी
भोजपुर आरा।